

No.: ALD (W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/5008

Date: 20.09.2024

एस. के. पाण्डा
जे.जी.एम/एडमिन (सी.पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।


विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री सूरज यादव द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में।
(आर.टी.आई. संख्या 879)।

सन्दर्भ: (1) प्रधान कार्यालय आर.टी.आई. रजिस्ट्रेशन संख्या DFCCIL/R/E/24/00790 दिनांक 25.08.2024।
(2) प्रधान कार्यालय का ई-मेल दिनांक 25.08.2024।
(3) प्रधान कार्यालय का अनुस्मारक ई-मेल दिनांक 04.09.2024 एवं 18.09.2024।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक श्री सूरज यादव द्वारा वांछित सूचना चाही गयी थी, जिसका उत्तर प्रयागराज (पूर्व) के कार्यालय पत्रांक ALD(E)/EN/RTI/71/Vol.-IV दिनांक 19.09.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा दी गयी है, इसके अतिरिक्त मद क्रमांक 03 जो कि प्रयागराज (पश्चिम) इकाई से सम्बन्धित है का प्रति उत्तर निम्नवत् है:-

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
1	आर.टी.आई. आवेदन संख्या DFCCIL/R/E/24/00306 दिनांक 28.03.2024 के जवाब में अजीत कुमार सिंह, ए.पी.आई.ओ. के द्वारा जवाब दिया गया था कि बादशाह हुसैन अन्य के मामले में कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जबकि प्रार्थी बादशाह हुसैन एवं अन्य मामले की कॉपी एवं आपके कार्यालय के द्वारा नामित वकील एवं मुकदमें निस्तारण की कॉपी आपके द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध करा सकता है। अजीत सिंह कौन सी वित्तीय सहायता हेतु गलत जवाब या जानकारी न होने की सूचना उपलब्ध करायें। (कॉपी उपलब्ध कराने हेतु निदेशक/पीपी/नई दिल्ली के ईमेल पर समस्त जानकारी उपलब्ध की जायेगी।	उक्त बिन्दु में अवगत कराना है कि पूर्व में आर.टी.आई. आवेदन संख्या DFCCIL/R/E/24/00790 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा माँगी गयी सूचना निम्नवत् है:- “बादशाह हुसैन व अन्य के मामले में डी.एफ.सी.सी.आई.एल. का करोड़ों रु० का नुकसान कराया काश्तकार को भुगतान न करके जिस कारण कार्यालय को अधिक पैसे का भुगतान करना पड़ा उस मामले में श्री डी. के. सिंह के ऊपर कार्यालय द्वारा क्या पेनाल्टी दी गयी।” जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को अवगत कराया गया था कि कार्यालय द्वारा डी. के. सिंह के ऊपर किसी प्रकार की पेनाल्टी की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। न कि बादशाह हुसैन के मुकदमें व अन्य के मामले में सूचना माँगी गयी थी।

इस पत्र पर मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज (पश्चिम) का अनुमोदन प्राप्त है।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
प्रयागराज (पश्चिम)



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. 164
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprises

पत्र सं०- ALD(E)/EN/RTI/71 Vol.-IV

Dated: 17.09.2024

Chief Public Information Officer
Corporate Office
New Delhi

19

Sub: RTI regarding information sought by Suraj Yadav, Village/Post - Meja, District - Prayagraj.

Ref: पंजीकरण सं. DFCCL/R/E/24/00790 दिनांक 25.08.2024 (क्र.सं. 152).

उपरोक्त सन्दर्भित में प्रार्थी सूरज यादव द्वारा आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत सूचना निम्नवार उपलब्ध करायी जा रही है:-

क्र. सं.	प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना	प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना का जवाब
1.	यह कि डी के सिंह उप परियोजना प्रबन्धक इलाहाबाद को पिछले 12 से 14 वर्षों से प्रयागराज में निवास स्थान होने के बावजूद प्रयागराज यूनिट में ही क्यों रखा गया है कारण सहित सूचना उपलब्ध कराये।	डी के सिंह उप परियोजना प्रबन्धक दिनांक 10.04.2024 को प्रयागराज/पूर्व इकाई में स्थानान्तरण पश्चात् नियुक्त हुये है। इससे पूर्व का विवरण इस इकाई में उपलब्ध नहीं है।
2.	यह कि डी के सिंह उप परियोजना प्रबन्धक इलाहाबाद के द्वारा प्रयागराज यूनिट में बादशाह हुसैन मुकदमें में करोड़ों रुपये का नुकसान सरकारी दफ्तर को हुआ जिसके कारण उनके ऊपर अब तक क्या कार्यवाही की गयी सूचना उपलब्ध कराये।	यह प्रकरण प्रयागराज/पूर्व के कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
3.	आर टी आई आवेदन सं. DFCCL/R/E/24/00306 दिनांक 28.03.2024 के जवाब में अजीत कुमार सिंह, ए पीआई ओ के द्वारा जवाब दिया गया कि बादशाह हुसैन अन्य के मामले में कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, जबकि प्रार्थी बादशाह हुसैन एवं अन्य मामले की कापी एवं आपके कार्यालय के द्वारा नामित वकील एवं मुकदमें निस्तारण की कापी आपके द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करा सकता है। अजीत सिंह कौन सी वितथी सहायता हेतु गलत जवाब या जानकारी न होने की सूचना उपलब्ध कराते है। क्या इसकी सूचना निदेशक पी पी /नई दिल्ली के द्वारा कभी की जाती है सूचना उपलब्ध कराये।	यह सूचना प्रयागराज/पूर्व के कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
4.	यह कि डी के सिंह के द्वारा पिछले कई वर्षों से जो भी लीज का भुगतान लिया जा रहा था वो उनके घर के सदस्य ही थे क्या इसकी जानकारी कार्यालय में होने के बावजूद लीज का भुगतान किया जा रहा था। सूचना उपलब्ध कराये।	डी के सिंह उप परियोजना प्रबन्धक, प्रयागराज/पूर्व में दिनांक 10.04.2024 को स्थानान्तरण हुये है। विभाग की लीज नियमावली अनुसार भुगतान किया जा रहा है।



डेडीकैटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकैटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. 163

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprises

<p>5. यह कि डी के सिंह के द्वारा पिछले 6 माह से अब तक का लगातार मेडिकल एवं अन्य गलत तरीके से भुगतान धोखाधड़ी से लिया जा रहा है जिसकी जानकारी कभी उच्च अधिकारियों को नहीं हुई क्योंकि यह 15 वर्षों से इलाहाबाद में एवं इलाहाबाद के निवासी होने की वजह से सभी उच्च अधिकारियों का गलत तरीके से गुमराह करके भुगतान प्राप्त कर रहे हैं इनको पिछले 1 वर्षों से अब तक कितने का भुगतान किया गया सभी की समीक्षा की जाये एवं निदेशक पीपी नई दिल्ली के द्वारा जाँच के आदेश दिये जाने कि सभी प्राप्त भुगतान कार्यालय के निर्देशानुसार है एवं इसकी जाँच कभी नई दिल्ली के द्वारा की गयी सूचना उपलब्ध कराये।</p>	<p>यह कि डी के सिंह उप परियोजना प्रबन्धक, प्रयागराज/पूर्व को मेडिकल तथा अन्य भुगतान विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश व नियमानुसार किया गया है।</p>
<p>6. यह कि डी के सिंह प्रयागराज में ही पोस्टिंग के लिए लगातार उच्च अधिकारियों से अनुरोध करके प्रयागराज में पोस्टेड है, यह किस कारण वश इनका पोस्टिंग इलाहाबाद में ही 15 वर्षों से है कारण सहित सूचना उपलब्ध कराये।</p>	<p>यह सूचना प्रयागराज/पूर्व के कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।</p>

उपरोक्त मांगी गयी सूचना मुख्य महाप्रबन्धक/प्रयागराज/पूर्व के द्वारा अनुमोदित है।

मनुज

(मनुज सारस्वत)

19/09/24

परियोजना प्रबंधक/इंजी०
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
प्रयागराज (पूर्व)

Copy to: PIO/Corporate Office New Delhi.